बिहार विधान सभा सचिवालय
निविदा आमंत्रण सूचना

बिहार विधान सभा सचिवालय, माननीय अध्यक्ष महोदय के आवासीय कार्यालय–02, देशरत्न मार्ग, पटना, सचिव, बिहार विधान सभा के आवासीय कार्यालय 9 हार्डिंग रोड, पटना में अधिष्ठापित वाटर प्यूरिफायर मशीन 42 अदद, एवं वाटर कुलिंग रेफ्रीजरेटर 15 अदद का वार्षिक सम्पोषण के लिए ख्याति प्राप्त एवं पर्याप्त अनुभव रखने वाले आपूतिकर्त्ताओं/प्रतिष्ठानों एवं संवेदकों से सीलबंद लिफाफे में निविदाएँ दिनांक 30.06.2020 को 3 बजे अपराह्न तक सचिव, बिहार विधान सभा के पदनाम से उनके कार्यालय कक्ष में निर्धारित शर्त्तों के अधीन आमंत्रित की जाती है:–

सभी प्राप्त निविदाएँ 30.06.2020 को 4:30 बजे अपराह्न में सचिव, बिहार विधान सभा के कार्यालय कक्ष में क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी, जिसमें निविदादाता स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।

इस संबंध में कोई भी जानकारी किसी भी कार्य दिवस में अधोहस्ताक्षरी (अवर सचिव, अवधायक) के कार्यालय एवं दूरभाष संख्या 0612–2217240 से प्राप्त की जा सकती है।

निर्धारित शर्तेः–

1. निविदादाता अपनी निविदा समर्पित करने के पूर्व सभी वाटर प्यूरिफायर मशीन एवं वाटर कुलिंग रेफ्रीजरेटर का भौतिक निरीक्षण कर सकते हैं।

2. निविदा के साथ फर्म/प्रतिष्ठानों का निबंधन प्रमाण–पत्र, GST (वाणिज्य कर विभाग) से निबंधित होने का प्रमाण–पत्र, अद्यतन आयकर का विवरणी तथा सरकार द्वारा जारी श्रम अनुज्ञप्ति का धारण होने की प्रमाण–पत्र संलग्न होना चाहिए। सभी प्रमाण–पत्र निविदा प्रकाशित होने की तिथि से पूर्व का निर्गत किया होना चाहिए।

3. निविदादाता को वाटरप्यूरिफायर एवं वाटर कुलिंग रेफ्रीजरेटर की मरम्मती एवं रख–रखाव के कार्य का अनुभव होना चाहिए। निविदा के साथ नमूना एवं कार्यदेश की प्रति संलग्न होना चाहिए।

4. वाटर प्यूरिफायर एवं वाटर कुलिंग रेफ्रीजरेटर का मरम्मत पार्टस (कम्प्रेशर, मेम्ब्रन, मोटर, सेडीमेंट, एफ०आर० थर्मोस्टेट, एडॉप्टर, सोडनाइट वल्व, कार्बन आदि का मरम्मति एवं रिप्लेसमेंट सहित) के लिए अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

5. वर्णित उपकरणों का मरम्मती उनके अधिष्ठापित स्थान पर ही की जायेगी।

6. संधारणकर्त्ता को नियमित रूप से वाटर प्यूरिफायर मशीन एवं वाटर कुलिंग रेफ्रीजरेटर का निरीक्षण कर मरम्मति का कार्य करना होगा तथा उपकरण के खराब होने की सूचना प्राप्त होते ही तुरंत संबधित स्थल पर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी और यथाशीघ्र खराबी दूर कर उसे चालू करना आवश्यक होगा।

7. वार्षिक रख–रखाव की गणना कार्यादेश निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के लिए मान्य होगी।

8. निविदा के साथ–साथ जमा किये गये सभी कागजात स्वअभिप्रमाणित एवं पृष्ठांकित होने चाहिए।

9. उपर्युक्त सभी शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। अपूर्ण, अस्पष्ट एवं विलंब से प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

10. निविदादाताओं को निविदा के साथ कागज, फर्म की मुहर, हस्ताक्षर संलग्न करना एवं निविदा के कभर पर फर्म का नाम, पता, दूरभाष, मोबाइल नंबर अंकित करना आवश्यक है।

11. निविदा को बिना कारण बताये रद्द/अस्वीकृत करने का सर्वाधिकार बिहार विधान सभा सचिवालय को सुरक्षित रहेगा।

17.06.20

विवेकानन्द झा
अवर सचिव
बिहार विधान सभा, पटना